न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 39/2016 तारीख रजू :–21.10.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

दलपत प्रजापति उर्फ दलाराम पुत्र रेवतराम प्रजापति जाति राव निवासी ग्राम जूडिया तह0 बालेसर जिला जोधपुर मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार मैन बाजार बौंली तह0 बौंली

.....अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006, नियम और विनियम 2011 की धारा 26(2)ii/51 के तहत

निर्णयः– दिनांक 15/2/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन श्री विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006, व नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि आवेदक दिनांक 18.03.2016 को समय 3.00 पी.एम. पर मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार मैन बाजार बौंली तह0 बौंली पहुॅचा। वहाँ पर दलपत प्रजापति उर्फ दलाराम पुत्र रेवतराम प्रजापति जाति राव निवासी ग्राम जूडिया तह0 बालेसर जिला जोधपुर उपस्थित मिला। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। यह है कि आवेदक (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा विक्रता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया जहाँ विक्रेता हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा एवं शुगर से निर्मित) लगभग 15 किलोग्राम दुकान में स्टील की ट्रे में रखे हुये थें के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना फार्म न0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मावा बर्फी(मावा एवं शुगर से निर्मित) 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 500/–रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ मावा बर्फी(मावा एवं शुगर से निर्मित) को तीन बराबर भागों में विभक्त कर कांच की शिशियों में भरकर 40–40 बूंदे फार्मेलीन की डाल कर अच्छी तरह से बन्द कर चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया जाकर प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एच 890 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:50:16 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप वा रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया गया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौक पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुच कर फार्म न0 6 की प्रतियाँ तैयार कर और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाकर जिससे नमूना सील किया गया एक नमूना भाग मय फॉर्म स0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म न0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कैलाश चन्द सैन वाहन चालक द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गई । दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म न0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/1253 दिनांक 04.05.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस 808/एक्ट/2016/1415 दिनांक 06.04.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी(मावा एवं शुगर से निर्मित) सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड मावा बर्फी(मावा एवं शुगर से निर्मित) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम 2011 की धारा 26(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस एक्ट 2006 एवं नियम और विनियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकर कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि अभियुक्त के द्वारा पूर्व में नोटिस का जबाव पेश किया गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा बर्फी(मावा एवं शुगर से निर्मित)का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2)(।।) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा जबाव/बहस में तर्क दिया गया कि अभियुक्त लघु व्यवसायी है तथा खाद्य अनुज्ञापत्र लेकर नियमनुसार व्यवसाय करता है तथा उसकी दुकान से जो नमूना लिया गया है वह जाँच रिपोर्ट में बहुत ही कम अन्तर के कारण मानक स्तर का नही होना पाया गया है तथा उक्त कृत्य भूलवश हुआ है जिसमें अभियुक्त द्वारा अनुचित लाभ अर्जित करने का कोई भी इरादा नही था। अन्त में अभियुक्त ने अपने जवाब में भविष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों को पूर्ण ध्यान रखते हुए न्यूनतम जुर्माने के साथ से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:50:16 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस 808/एक्ट/2016/1415 दिनांक 06–04–2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी(मावा एवं शुगर से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड पाया गया है,जिसे अभियुक्त ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है, जिसका विक्रय कर खाद्यकारोबार कर्ता एवं विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टैण्डर्ड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा बर्फी(मावा एवं शुगर से निर्मित) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 30,000/–रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/2/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:50:16 IST
Reason: SelfAttested